मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 (पौष 1, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नकाल में केवल महिला विधायकों एवं प्रथम बार के विधायकों द्वारा ही प्रश्न पूछा जाना

आसंदी द्वारा सदन की सहमति से यह सूचित किया गया कि – "आज केवल प्रथम बार के निर्वाचित सदस्यों के ही प्रश्न लेने का निर्णय लिया गया है. मेरा प्रश्नकर्ता सदस्यों से यह अनुरोध है कि उन्हें अधिकाधिक सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर मिल सके इस दृष्टि से पूरा प्रश्न और उत्तर न पढ़ते हुए सीधा प्वाइंटेड प्रश्न ही पूछें.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 125 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल के अंत में आसंदी द्वारा प्रश्नकाल में अधिक माननीय सदस्यगण के प्रश्नों को पूछने में सहयोग हेतु माननीय सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय कला महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किये जाने,
(2) श्री विजय राघवेन्द्र सिंह, सदस्य की बड़वारा क्षेत्र के अनेक पुलों का निर्माण न होने,
(3) श्री महेश परमार, सदस्य की उज्जैन स्थित क्षिप्रा नदी के शुद्धिकरण हेतु ट्रीटमेंट प्लांट एवं त्रिवेणी के पास गोठड़ा गांव में पक्का बांध बनाये जाने,
(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की बाग फरहत अफजा, भोपाल स्थित पुरातात्विक महत्व का दरवाजा तोड़े जाने,
(5) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य की भोपाल शहर स्थित जे.के. रोड की हालत जीर्ण-शीर्ण होने,
(6) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधानसभा क्षेत्र के अतंर्गत आनेवाले 47 ग्राम पंचायतों का विकासखण्ड बरगी व मुख्यालय ग्राम घाना (बरगी) बनाये जाने,
(7) श्री कुंवर जी कोठार, सदस्य की राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के खासपुरा से कडलावद एवं मऊ से खुजनेर मार्ग का मजबूतीकरण व चौडीकरण करने,
(8) श्री रविन्द्र सिंह तोमर "भिड़ौसा", सदस्य की विधानसभा क्षेत्र दिमनी के बारिगवां क्वारी नदी पर छतिग्रस्त पुल की मरम्मत अथवा नवीन पुल का निर्माण किये जाने,
(9) श्री राकेश पाल सिंह, सदस्य की केवलारी वि.स. क्षेत्र के भीमगढ़-छपारा पुल का निर्माण किये जाने तथा
(10) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की भिण्ड जिला गोहद विकासखण्ड अंतर्गत श्रीराम जानकी मंदिर की बड़ा बाजार स्थित शाखा की भूमि पर अवैध रूप से चबूतरा बनाये जाने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

3. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल में उल्लेख किया कि - कल स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि पंचायत चुनाव पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना नहीं होंगे. मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार ने क्या फैसला किया है, सदन को अवगत कराएं.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा का अक्षरश: पालन कर रही है. इस मामले में राज्य और केन्द्र सरकार न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर कर रहे हैं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का चौदहवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने -

(क) दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 90 वां एवं 91 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 तथा 2017-18,

(ख) (i) वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण, एवं

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण,

(ग) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक एफ ए 3-58-2015-1-पांच (79), दिनांक 4 नवम्बर, 2021 एवं

(ii) क्रमांक एफ ए 3-58-2015-1-पांच (80), दिनांक 4 नवम्बर, 2021, तथा

(घ) अधिसूचना क्रमांक एफ–बी-04-02-2021-2-पांच-(03), भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2021, पटल पर रखीं.

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 तथा द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(5) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखे.

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ 2-2-2020-सात-शा.7, दिनांक 24 नवम्बर, 2021पटल पर रखी.

(7) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने -

(क) मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) का 59 वां वार्षिक विवरण वर्ष 2020-21, तथा

(ख) (i) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला छतरपुर, सीधी, झाबुआ, नीमच, धार, बालाघाट, अलीराजपुर, बैतूल एवं दमोह का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21, तथा

(ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला सागर, सीधी, ग्वालियर, नीमच एवं दमोह का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(8) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे, वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

(9) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री -

(क) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(ख) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20, तथा

(ग) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखे.

(10) डॉ.अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने -

(i) म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21,

(ii) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21,

(iii) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-20 एवं 2020-21, तथा

(iv) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-21, पटल पर रखे.

(11) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

(12) श्री राजवर्द्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने -

(क) म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तिम लेखे, एवं

(ख) एम.पी.इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2017-18, पटल पर रखे.

(13) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास ने एन.एच.डी.सी.लिमिटेड का 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.", सदस्य द्वारा सदन में पटलित प्रतिवेदनों पर चर्चा भी कराने हेतु आसंदी से अनुरोध किया गया.

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, आरिफ अकील, कमलेश्वर पटेल, सदस्यगण ने भोपाल सहित अन्य क्षेत्रों में खपत से अधिक राशि के विद्युत बिल दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चर्चा का उत्तर दिया.

6. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

बिजली बिल के माफ नहीं किए जाने के विरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए. तत्पश्चात् डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया गया.

7. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नरसिंहपुर जिला विपणन सहकारी समिति में गवन के दोषी पदाधिकारियों से वसूली की कार्यवाही न होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. सतीश सिकरवार, श्री आरिफ अकील, सदस्यगण ने प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कमल पटेल ने चर्चा का उत्तर दिया.

8. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में खाद की कमी होने से किसानों में रोष व्याप्त होने एवं शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

9.अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कार्यसूची में उल्लेखित कंडिका 7 तक औपचारिक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(4) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, लेबड़-नयागांव सड़क निर्माण में शर्तों के अनुसार कार्य न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने याचिका समिति का अभ्यावेदनों से संबंधित पन्द्रहवां एवं सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(2) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(3) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(4) कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर (भिड़ौसा) (जिला-मुरैना)
(5) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(6) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(8) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(9) श्रीमती कृष्णा गौर (जिला-भोपाल शहर)
(10) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
(11) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(12) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
(13) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(14) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी (जिला-दमोह)
(15) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(17) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना)
(18) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(20) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
(21) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
(22) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(23) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(24) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(25) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
(26) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(27) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
(28) श्री तरबर सिंह (जिला-सागर)
(29) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(30) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
(31) श्री अजय कुमार टंडन (जिला-दमोह)
(32) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
(33) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(34) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(35) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)

13. वक्तव्य.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने दिनांक 11 अगस्त, 2021 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक 824) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 (क्रमांक 34 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 36 सन् 2021) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(अपरान्ह 1.48 बजे से 3.34 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

15. वर्ष 2021-2022 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, एवं 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर उन्नीस हजार, इकहत्तर करोड़, चौरानवे लाख, उनचास हजार, छह सौ पैंतालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

सभापति महोदया (श्रीमती नंदनी मरावी) पीठासीन हुईं.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री तरूण भनोत

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा
(3) श्री कुणाल चौधरी

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा सोलंकी) पीठासीन हुईं.

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्रीमती कृष्णा गौर (भाषण एवं चर्चा जारी)

अपराह्न 5.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 (2 पौष, शक सम्वत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 22 दिसम्बर, 2021.